पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	देवलाल गोचर	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94144–03756	मो. 94143.96596

क्रमांक : दिनांक : 11 मार्च, 2019

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– राजस्थान सेवा नियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में ज्ञापन।

महोदय,

राजस्थान सेवा नियमों में प्रावधान है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में अन्यत्र मुख्यालय पर पदस्थापित किये जाने पर उसे यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होता है जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरित कर्मचारी अन्यत्र स्थान पर कार्यमुक्त होने पर स्वयं के परिवार को व्यवस्थित करने हेतु योगकाल का उपयोग कर नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करता है, मगर राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सेवा नियमों के इस प्रावधान का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शिक्षा अधिकारियों एवं उनके अध्ययनरत बच्चों की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान मनोःस्थिति की अनदेखी कर किये गए स्थानान्तरणों में अविलम्ब कार्यमुक्त होकर बिना योगकाल के कार्य ग्रहण करने के आदेश जारी किये है अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश भी जारी किये है।

यह आदेश न केवल सेवा नियमों के विरूद्ध है अपितु प्रशासनिक मनमर्जी का भी द्योतक है। जिससे आम शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों में रोष व्याप्त है।

आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर सेवा नियमों की पालना को सुरक्षा प्रदान कर अनुगृहित करें।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

नोट :– समस्त जिलाध्यक्ष/जिलामंत्री से आग्रह है कि अपने जिले के लैटर पैड पर यह पत्र मुद्रित कराकर हस्ताक्षर कर डाक द्वारा भिजवाये। संभाग उपाध्यक्ष पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।